


प्राचार्य का कार्यालय  
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय  
मुजफ्फरपुर

कार्यालय आदेश

कोविड कोर कमिटी की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में निम्न चिकित्सकों को कोविड कोर कमिटी में पूर्व के तीन सदस्यों के अलावा अतिरिक्त सदस्य के रूप में नामित किया जाता है :—

1. डॉ० सुनील कुमार, सह-प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, सर्जरी विभाग
2. डॉ० तृप्ति सिन्हा, सहायक प्राध्यापक, स्त्री एवं प्रसव रोग विभाग

साथ ही कोविड कोर कमिटी को निदेशित करते हुए यह शक्ति प्रदान की जाती है कि कोई भी चिकित्सक/चिकित्सा कर्मी एवं सहकर्मी द्वारा यदि कोविड से संबंधित अपने छऱ्यूटी का सफल पूर्वक निर्वहन नहीं की जाती है अथवा संबंधित छऱ्यूटी में किसी प्रकार की लापरवाही/कोताही बरती जाती है, तो वे सीधे संबंधित कर्मीयों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करते हुए, अग्रतर कार्रवाई हेतु अधोहस्ताक्षरी को सूची सहित सूचित करें, ताकि महामारी एकट के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सके।



श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय  
मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक:— ७१७/२१

दिनांक:— ११/०५/२१

प्रतिलिपि:—

1. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधीक्षक/उपाधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. कोविड कोर कमिटी, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. विभागाध्यक्ष, मेडिसीन विभाग/नोडल पदाधिकारी, कोविड, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. सभी विभागाध्यक्ष, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
7. ईस्टेट ऑफिसर, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
8. कॉलेज वेबसाइट।



श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय  
मुजफ्फरपुर